राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नारायण / गजानन 407/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा हक़, इन्द्राज दुरुस्ती, बातिल एवं बेअसर घोषित किये जाने हस्तान्तरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्द प्रतिवादीगण/रेस्पो. इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1169 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1170 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1171 रकबा 1.25 हैक्टेयर, 1172 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1174 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1175 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1176 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 1177 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1178 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 1179 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 1180 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1181 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1183 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1175/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर , 1176/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर , 1177/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर , 1178/1 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 4.53 स्थित ग्राम मुहाना जो वादीगण के बजमाने बुजुर्गान कब्जे काश्त व हक अधिकार में है उक्त भूमि पर वादीगण कदीन से काश्त करते आ रहे है एवं बाउन्ड्रीवाल बना रखी है वादग्रस्त भूमि कजोड बाबा की कोठी के नाम से जानी जाती है | वादीगण के पूर्वज कजोड की मृतु ग्राम मुहाना में हो गयी थी | जिनके वादीगण एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी है | वादीगण के पिता एवं दादा द्वारा अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता हजारीलाल खटीक पुत्र जीवाराम खटीक निवासी मुहाना के नाम प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा जो ग्राम पंचायत मुहाना के सरपंच थे ने जालसाजी व धोखादडी से अवेध खातेदारी अंकन करवा दिया बाद में नुमाइसी तौर पर हजारीलाल से स्वयं के नाम नामान्तरण संख्या 114 दिनांक 24/07/1997 को खुलवा लिया एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को अनुसूचित जनजाति स्वयं मोहरीलाल ने अपने नाम करवा ली जो धारा 42(B) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने से ऐबइनिशियो वायड होने से बमुकाबले वादीगण बेअसर है | वादपत्र के अन्त में इस्तदुआ की गयी की वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम हजफ़ किया जाकर मिन वादीगण के नाम दुरुस्ती इन्द्राज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता हजारीलाल के नाम किये गये खातेदारी नामान्तरण को जो बिना हक़ व अधिकार राजस्व रिकार्ड में नामांकन गलत तरीके से किया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता स्व. मोहरीलाल ने अपने नाम गलत नामांकन के आधार पर बेनामा दिनांक 28/05/1996 प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के हक़ में दौराने दावा विक्रय पत्र दिनांक 06/02/2013 को पंजीयन करवाये जो बमुकाबले वादी कलेदम व बेअसर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नारायण / गजानन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
407/2019	2	

है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता हजारीलाल के नाम गैर क़ानूनी अंकन होने से पश्चातव्रती नामांकन बातिल एवं बेअसर है घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाई जावे | तत्तपश्चात प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस आशय का प्रस्तुत किया कि स्वयं वादी ही अपने वाद पत्र में अंकित करते है कि वे जाति से बैरवा अर्थात अनुसूचित जाति के सदस्य है और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. हजारीलाल पुत्र जीवा भी जाति से खटीक अर्थात अनुसूचित जाति के ही सदस्य थे ऐसी स्थिति में स्वयं वादी के अनुसार ही कजोड पुत्र रेखा बैरवा ने ही दिनांक 09/12/1966 को जो विक्रय पत्र पंजीकृत कराया है वह अनुसूचित जाति के सदस्य के पक्ष में ही पंजीकृत कराया है जो स्वयं वादी के कथनानुसार ही वैद्द एवं नियमित है और ऐसे विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत होना माने जाने का कोई आधार नही है | वादीगण द्वारा अंकित किये गये अधिवचन से ही यह स्पष्ट है कि वादीगण के हक़ पूर्वाधिकारी कजोड पुत्र रेखा बैरवा के भूमि विवादग्रस्त में जो खातेदारी अधिकार थे वे उनके द्वारा दिनांक 09/12/1966 कराए गये विक्रय पत्र की वजह से समाप्त होकर क्रेता में व्याप्त हो गये | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(7) के अनुसार यदि कोई खातेदार कृषक अपने कृषि जोत को कानून के प्रावधान के अनुसार यदि विक्रय कर देता है तो उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है | परन्तु फिर भी वादीगण ने दिनांक 09/12/1966 के उक्त विक्रय पत्र की तारीख अंकित किये बिना उक्त विक्रय पत्र को मूल रूप से अवैद्द व प्रभावशून्य मानते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहि है जो अनुतोष उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किये बिना वादीगण को प्रदान नही किया जा सकता | ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्पष्टत: विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है | वादीगण ने अपने वाद पत्र में कजोड पुत्र रेखा बैरवा द्वारा मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा के भहकावे में आकर जालसाजी व धोखादडी से उक्त विक्रय पत्र हजारीलाल खटीक के पक्ष में करवा दिया जाना अंकित किया है यदि कोई वादी किसी पंजीकृत विक्रय पत्र को जालसाजी व धोखादडी से पंजीकृत करा दिए जाने के आधार पर उसे अवेध व प्रभावशून्य घोषित कराना चाहता है तो ऐसे दावे की सुनवाई कर क्षेत्राधिकार सक्षम व्यवहार न्यायालय को ही है एवं राजस्व न्यायालय को ऐसे दावो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है वादीगण के हक़ पूर्वाधिकारी स्व. कजोड पुत्र रेखा बैरवा ने दिनांक 09/12/1966 को उक्त वर्णित विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत कराया और उसके पश्चात हजारीपुत्र जीवा खटीक ने दिनांक 02/02/1970 को उक्त वर्णित भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नारायण / गजानन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
407/2019	3	

विक्रय पत्र मोहरीलाल पुत्र रणजीता के पक्ष में पंजीकृत कराया | उक्त विक्रय पत्र द्वारा विक्रय की गयी भूमि का कब्जा दिनांक 09/12/1966 को ही हजारी को तथा दिनांक 02/02/1970 को मोहनलाल पुत्र रणजीता को हस्तांतरित हो गया | दिनांक 09/12/1966 को वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात भी वादीगण ने दिनांक 03/05/2013 को उपरोक्त वर्णित वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो दावा, वाद पत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर अवधि बाधित है एवं वादी को भूमि वाद ग्रस्त के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ है | वादपत्र में राजस्व न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उल्लेखित नही है इसलिए भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निरस्तनीय है | सभी वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी वादीगण ने वास्तविक तथ्यों का विस्तृत उल्लेख किये बिना तथा गलत व आधारहीन तथ्य वादपत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 मात्र हैरान और परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम स्तर पर ही आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है | प्रार्थना पत्र के अन्त में इस्तदुआ की गयी की वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त वादपत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित ना होने तथा वादपत्र विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप विधि द्वारा वर्जित होना तथा वादपत्र में अंकित अभिवचन के आधार पर ही स्पष्टत: बातिल होने की वजह से वादपत्र निरस्त फरमाया जावे | उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर होने से ख़ारिज किये जाने इस्तदुआ की गयी | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर अपने निर्णय दिनांक 27/05/2014 के माध्यम से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद पत्र विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादपत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित नही होने से ख़ारिज कर दिया गया | जिसके विरुद्द वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र के सन्दर्भ में वाद में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार वादी/अपीलांट संख्या 1 लगा. 3 व 4 उनके पिता व वादी/अपीलांट संख्या 4 व 5 के दादा कजोड रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे जो की बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे जिसने प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 के पिता हजारीलाल खटीक पुत्र श्री जीवाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नारायण / गजानन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
407/2019	3

खटीक निवासी मुहाना के नाम प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा जो की ग्राम पंचायत मुहाना के सरपंच थे ने जालसाजी व धोखादडी से अवेध खातेदारी अंकन करवा दी एवं बाद में नुमाईशी तौर पर हजारीलाल से मोहरीलाल स्वयं ने अपने नाम नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 24/07/1997को खुलवा लिया | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि वादी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा हक़, इन्द्राज, दुरुस्ती, बातिल एवं बेअसर घोषित किये जाने हस्तान्तरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था | वादी/अपीलान्ट्सके पिता ने कभी प्रश्नगत आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 के पिता को नही किया किन्तु सरपंच की मिलीभगत से हुये गलत इन्द्राज की दुरुस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवतसाक्ष्य सबूत प्राप्त कर निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु प्रतिवादी की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक स्तर पर ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर यह अंकित करते हुये कि वादीगण का वादपत्र विधि के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादपत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित नही होने से वादी का वाद पत्र अस्वीकार कर दिया गया था जबकी वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में यह स्पष्ट था कि प्रश्नगत आराजी का मूल खातेदार वादी/अपीलान्ट्स के पिता एवं दादा कजोड पुत्र रेखा थे जिससे वादी/अपीलान्ट्स में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार निहित था | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादी का वाद बगैर गुणावगुण पर ख़ारिज कर दिया गया है ऐसे आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार की जाकर वाद को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे |

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/12/1966 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि यह तथ्य सही है कि प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार वादीगण के पिता व दादा कजोड पुत्र रेखा चमार थे किन्तु उक्त मूल खातेदार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण प्रश्नगत आराजी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 लगा.4 के पिता हजारीलाल पुत्र जीवाराम खटीक को कर दिया गया था जिससे बैचान के पश्चात प्रश्नगत आराजी के विक्रयकर्ता कजोड पुत्र रेखा के समस्त अधिकार प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के पिता क्रेता हजारीलाल में निहित हो गये | अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि जब

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म | 407/2019 नारायण / भवानन्द — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5

बैचान के पश्चात प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार कजोड के प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में सम्पूर्ण अधिकार समाप्त हो गये, के पश्चात मूल खातेदार के पुत्रो में प्रश्नगत आराजी से सम्बन्धित कोई अधिकार शेष नही रहे कि जिनकी वजह से वादी/अपीलान्ट्स को कोई वाद कारण शेष रहा हो | अभिभाषक रेस्पो. ने बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया उसमे सन्दर्भित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को वातिल एवं बेअसर घोषित किये जाने हस्तान्तरण का भी अनुतोष चाहा है जो दिया जाना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, जिससे स्पष्ट रूप से वादी का वाद प्रथम स्तर पर ही चलने योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तौर पर निर्णय जैर अपील के माध्यम से ख़ारिज किया गया है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अभिभाषक पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष में वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद में अंकित प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार वादीगण/अपीलान्ट्स के पिता एवं दादा कजोड पुत्र रेखा जाति चमार रहे है | वाद में वादी/अपीलान्ट्स द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी का नुमाईशी हस्तान्तरण वादी/अपीलान्ट्स के पिता एवं दादा कजोड से हजारीलाल पुत्र जीवाराम खटीक ने करा लिया | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्द विक्रय पत्र दिनांक 09/12/1966 का अवलोकन किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी का हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार अर्थात वादी/अपीलान्ट्स के पिता व दादा श्री कजोड पुत्र रेखा स्वयं द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के पिता हजारीलाल पुत्र जीवाराम खटीक के हक़ में कर दिया गया था, जिससे स्पष्ट रूप से प्रश्नगत आराजी में बैचान के पश्चात प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार कजोड के समस्त अधिकार विलोपित होकर प्रश्नगत आराजी के क्रेता प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के पिता हजारीलाल में निहित हो गये, जिसका तात्पर्य यह है कि जब प्रश्नगत आराजी में प्रश्नगत आराजी के मूल खातेदार कजोड के ही समस्त अधिकार विलोपित हो गये, इसके पश्चात मूल खातेदार कजोड के वारिसान यानि वादीगण/अपीलान्ट्स में कोई अधिकार हस्तान्तरित प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में नही हो सकते यदि वादीगण/अपीलान्ट को यह संदेह रहा हो की प्रश्नगत आराजी का उनके पिता व दादा से विक्रय किसी प्रकार धोखे आदि से प्रतिवादी/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के पिता द्वारा करवा लिया गया हो तो ऐसे बैचान के निरस्तीकरण हेतु वादीगण/अपीलान्ट्स को कोई भी अनुतोष मात्र दीवानी न्यायालय से ही प्राप्त हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नारायण / गजानन्द

तारीख हुक्म	407/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सकता है। राजस्व न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय के निरस्तीकरण के सन्दर्भ में कोई वाद नही लाया जा सकता। दीवानी न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निरस्तीकरण कराए जाने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय में वाद संधारणीय हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट था कि वादीगण/अपीलान्ट्स में प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में कोई अधिकार शेष नही रहने से कोई वाद कारण राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उत्पन्न नही होता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादीगण/अपीलान्ट्स के वाद को निरस्त किये जाने का निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, वह उचित निर्णय है, जिसमे स्पष्ट रूप से कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/05/2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान) [seal]

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर